कार्यकारी सार

2001-02 तक केंद्र सरकार (यानि भारत सरकार) की पेंशन देयता अरक्षणीय अनुपात तक पहुँच गई थी। मौजूदा पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने तथा सरकारी सेवा में नव-नियुक्तियाँ प्राप्त करने वालों के लिए नई पेंशन योजना विकसित करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की स्थापना (जून 2001) की गई थी। इसका प्रतिवेदन, जिसमें एक मार्ग दर्शिका तथा सरकार द्वारा आगे उठाए जाने वाले कदमों का विवरण था; फरवरी 2002 में प्रस्तुत किया गया।

भारत सरकार ने (अगस्त 2003) केंद्रीय सरकार सेवा (सशस्त्र बलों के सिवाय) में प्रवेश करने वाले नव-नियुक्तियों के लिए 01 जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन प्रणाली के स्थान पर एक नवीन पुर्नगठित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शुरू करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। इसकी मूल विशेषताएँ हैं:

- कर्मचारी वेतन का 10 प्रतिशत मासिक अंशदान (मूल वेतन एवं महँगाई भत्ता) देगा तथा इतनी ही राशि केंद्र सरकार भी एक गैर-आहरणीय टीयर-I खाते में जमा करने हेतु देगी।
- एनपीएस से बाहर निकलने (टीयर-I में 60 वर्ष का होने या उसके बाद) पर व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपनी पेंशन निधि का 40 प्रतिशत एक वार्षिकी खरीदने में निवेश करे तथा 60 प्रतिशत पेंशन धनराशि अभिदाता को एक मुश्त रूप से प्रदान कर दी जाएगी।
- 60 वर्ष की आयु से पहले इस प्रणाली से बाहर निकलने वाले अभिदाताओं के लिए अनिवार्य वार्षिकीकरण पेंशन धनराशि का 80 प्रतिशत होगा तथा 20 प्रतिशत राशि का भुगतान एकमुश्त रूप में किया जाएगा।

एनपीएस केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सभी स्वायत्त निकायों में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों के लिए भी 01 जनवरी 2004 से लागू था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों तथा उनके स्वायत्त निकायों ने भी विभिन्न अवसरों पर अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस प्रणाली को अपनाया।

एनपीएस के तहत केन्द्र सरकार के अन्तर्गत प्रधान लेखा कार्यालय (प्रधान एओ), वेतन तथा लेखा अधिकारी (पीएओ) तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) तथा राज्य सरकार के अन्तर्गत समरुप कार्यालय नोडल कार्यालय (जो अभिदाताओं तथा सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग ऐजेंसी के मध्य सेतु का कार्य करते है) थे। 30 अप्रैल 2018 तक केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के 19.29 लाख अभिदाताओं के लिए 19,303 डीडीओ, 4,719 पीएओ तथा 687

प्रधान एओ थे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों तथा राज्य स्वायत्त निकायों (एसएबी) के 38.72 लाख अभिदाताओं के लिए 2,31,745 डीडीओ, 5,463 पीएओ/जिला राजकोष कार्यालय तथा 443 प्रधान एओ/कोषागार तथा लेखा निदेशालय थे।

एनपीएस की निष्पादन लेखापरीक्षा यह जाँचने के लिए की गई थी कि क्या एनपीएस प्रणाली की स्थापना परिकल्पित रूप जैसी ही की गई थी; सभी पात्र अभिदाताओं को इसमें शामिल कर लिया गया था, तथा देय अंशदान (अभिदाताओं तथा नियोक्ताओं) की कटौती तथा उसका न्यासी बैंक में प्रेषण समय पर किया जाता था।

निष्पादन लेखापरीक्षा अक्तूबर 2018 से जनवरी 2019 के दौरान 01 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2018 की अवधि के लिए 07 राज्य सरकारों (आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तराखण्ड) 02 संघ शासित प्रदेशों (दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) तथा केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों/विभागों के चयनित नमूनों पर संपन्न की गई।

लेखापरीक्षा जाँच परिणामों को निम्नलिखित तीन व्यापक शीर्षों अर्थात योजना, कार्यान्वयन तथा निगरानी में वर्गीकृत किया गया हैः

योजनाः

- एनपीएस की शुरूआत के 15 वर्षों के बाद भी, एनपीएस में समाविष्ट कर्मचारियों के संदर्भ में सेवा की शर्तों/सेवानिवृत्ति लाभों के नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(पैरा 3.2)

- एनपीएस को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत सभी स्वायत्त निकायों में 1 जनवरी 2004 या उसके बाद के नव-नियुक्तों के लिए, स्वायत्त निकायों में रिकॉर्ड कीपिंग तथा लेखांकन व्यवस्थाओं को स्थापित किये बिना ही लागू कर दिया गया।

(पैरा 3.3)

- राज्यों, सीएबी तथा एसएबी के संदर्भ में, पीएफआरडीए ने लीगेसी आंकड़ों को अपलोड करने तथा लीगेसी अंशदान को न्यासी बैंक में भेजने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जिससे लीगेसी राशि का समय पर न्यासी बैंक में हस्तांतरण प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त, पीएफआरडीए लीगेसी धन की मात्रा तथा इसके न्यासी बैंक में हस्तांतरण की स्थिति से अनभिज्ञ था।

(पैरा 3.5)

- निजी क्षेत्र के कर्मचारियों जिनके पास अपना निवेश करने का विकल्प होता है, से भिन्न सरकारी कर्मचारियों को लगभग 15 वर्षों की अवधि यानी कि 01 जनवरी 2004 से 30 जनवरी 2019 तक भी अपनी पेंशन निधि तथा योजना का चुनाव करने का विकल्प प्राप्त नहीं हुआ।

(पैरा 3.6)

- निधि/योजना का बीमांकिक मूल्यांकन दो वर्षों में एक बार किये जाने तथा निधि/योजना की व्यावहारिकता की जाँच करने के लिए कोई अन्य विधि अपनाये जाने के कोई संकेत नहीं थे।

(पैरा 3.9)

कार्यान्वयन

- इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि सभी नोडल कार्यालय (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सीएबी तथा एसएबी के तहत) एनपीएस के तहत पंजीकृत थे।

(पैरा 4.1.1)

- योजना के सूत्रीकरण के समय, 100 प्रतिशत पात्र कर्मचारियों को शामिल करने के लिए आवश्यक नियंत्रणों की कल्पना नहीं की गई थी। इसलिए एनपीएस लागू होने के 15 वर्षों बाद भी 100 प्रतिशत पात्र कर्मचारी इसमें शामिल कर लिये गये, इसका कोई आश्वासन नहीं था।

(पैरा 4.1.3)

- स्थाई सेवानिवृति खाता संख्या (प्रैन) जारी करने, एनपीएस अभिदान की प्रथम कटौती, पीएओ के पास बिल पहुँचने, अभिदाता अंशदान फाइल (एससीएफ) को अपलोड करना तथा अभिदान के न्यासी बैंक में प्रेषण में विलम्ब के मामले थे।

(पैरा 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 4.5, 4.6)

- जो नोडल कार्यालय एनपीएस में शामिल हो गए थे; उनके संदर्भ में संबंधित केंद्र सरकार/सीएबी के डीडीओ तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के डीडीओ ने क्रमशः ₹5.20 करोड़ तथा ₹793.04 करोड़ की राशि को न्यासी बैंक में प्रेषित नहीं किया था।

(पैरा 4.8)

निगरानी

- वर्ष 2012-13 तथा 2018-19 के बीच 66-68 मंत्रालयों/विभागों में से, सभी ने संयुक्त सचिव, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक तथा वित्तीय सलाहकार युक्त समिति का गठन नहीं किया।

(पैरा 5.1.1)

- 2013-14 तथा 2017-18 के बीच बहुत सारी शिकायतें एक से अधिक वर्षों से बकाया थी।

(पैरा 5.2)

- केन्द्र सरकार के सिविल मंत्रालयों के 4,130 मामलों में एनपीएस की ₹139.95 करोड़ की राशि एनपीएस खातों (अर्थात प्रैन) में एकत्रित थी जिनको नोडल कार्यालयों/सरकार को भेजा जाना था क्योंकि इन कर्मचारियों/उनके परिवारों को अतिरिक्त सहायता (मृत्यु/अशक्तता होने पर पुरानी पेंशन) प्रदान की गई थी।

(पैरा 5.3)

अनुशंसाएँ

- एक मजबूत प्रणाली स्थापित किये जाने की आवश्यकता है ताकि सभी नोडल कार्यालयों तथा पात्र कर्मचारियों का एनपीएस के अंतर्गत पंजीकृत होना सुनिश्चित किया जा सके। आंतरिक लेखापरीक्षा क्रियाविधि को देखना चाहिए कि प्रत्येक कर्मचारी प्रणाली में लाया जाये। यह सुनिश्चित करने के लिये, विलम्ब को दंडित करने तथा अभिदाता को हानि से बचाने के लिये क्षतिपूर्ति दिये जाने की आवश्यकता है।
- सरकार सुनिश्चित करे कि सरकारी क्षेत्र के एनपीएस लाभार्थियों के सेवा मामलों से संबंधित नियमावली निर्मित की जाए।
- सरकार उन सारे प्रकरणों को अवश्य चिन्हित करे जिनमें लीगेसी अंशदानों को न्यासी बैंक को प्रेषित नहीं किया गया और यह सुनिश्चित करे कि इसे लागू ब्याज व क्षतिपूर्ति के साथ अभिदाता को प्रेषित किया जाए जिससे कि उसे हानि न हो।
- पीएफआरडीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, अभिदाताओं की सेवानिवृत्ति के पश्चात् सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम सुनिश्चित प्राप्ति योजना (एमएआरएस) प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
- डीएफएस वार्षिकी दरों, लम्बी जीवन अवधि तथा ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम प्रतिस्थापन दर स्थापित करे।
- डीएफएस सुनिश्चित करे कि पीएफआरडीए अधिनियम में किया जा रहा संशोधन स्पष्ट रुप से प्रत्येक स्तर पर (जैसा कि वे कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में कर्मचारियों के लिये हैं)

जिम्मेदारी, जवाबदेही और देरी के लिए दंड को परिभाषित करे ताकि यह सुनिश्चित हो कि एनपीएस के अभिदाताओं का अंशदान न्यासी बैंक को भेजा गया है और निर्धारित समय के भीतर अभिदाता के प्रैन में जमा किया गया है।

- पीएफआरडीए को तत्पश्चात् अतिरिक्त राहत प्रदान किये जाने वाले प्रकरणों को सीआरए प्रणाली में चिन्हित करना चाहिए ताकि वार्षिकी सेवा प्रदाता या अभिदाता/परिवार के सदस्यों को किसी राशि के भुगतान से बचा जा सके। पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी को नोडल कार्यालय से इस तथ्य की एनओसी प्राप्त करनी चाहिए कि दावेदार को एनपीएस के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है। सरकार अतिरिक्त राहत का लाभ प्राप्त कर चुके अभिदाता/पारिवारिक सदस्यों को पहले ही एनपीएस निधि या एनपीएस खाते से कर दिये गये भुगतान की वसूली करने के लिये तुरन्त कदम उठाए।
- प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ नमूना जाँच पर आधारित हैं। सरकार, केन्द्र व राज्य दोनों, सम्पूर्ण एनपीएस में समान प्रकरणों की पहचान तथा क्रियांवयन में कमियों की मात्रा निर्धारित कर सकती है तथा उपचारात्मक कदम उठा सकती है।